

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बिहार

बनाम

कलक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना

2 मार्च 2005

[अरुत पसायत और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-छूट अधिसूचना की पात्रता-निर्धारिती कारखाने में उपयोग उपयोग किये परिवहन उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में उपयोग के लिए लोको वैगनों और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों का निर्माण करता है और इसे अन्य कारखाने में लाता है -छूट का लाभ मांगा- अधिसूचना के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया- अधिकरण ने कहा कि अधिसूचना उस मशीनरी पर लागू नहीं होती क्योंकि मशीनरी जिनके हिस्से जिनके लिये है वो कारखाने में स्थापित नहीं है, लेकिन कारखाने में उपयोग किए गए थे-याचिका है कि जब रेल पर रखा जाता है, तो इसे स्थिति में रखा जा सकता है, और इस प्रकार, स्थापित-अपील में कहा कि: मशीनों की स्थापना के संबंध में कुछ और तथ्यात्मक विवरणों के अभाव में, मामले को नए निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया-इसके अलावा, अधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि अधिसूचना के हेडनोट में अभिव्यक्ति 'कारखाने में स्थापित मशीनरी' को कवर नहीं किया गया है

-अधिकरण को शब्दों की अनुपस्थिति के प्रभाव पर विचार करने का निर्देश दिया।

धारा 11 ए-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944-नियम 9(2) और 196(1) और अध्याय 10- निर्धारिती कारखाने में उपयोग किये परिवहन उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में उपयोग के लिए लोको वैगनों और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों का निर्माण करता है और इसे अन्य कारखाने में लाता है -छूट का लाभ मांगा- नियम 9 (2) और 196(1) और धारा 11 ए(1) के तहत कंसाइनर से प्राप्त माल के वास्तविक उपयोग के बारे में सूचित करने में विफल होने पर कंसाइनी के उपर नियमों के अध्याय X के अन्तर्गत प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए शुल्क और जुर्माना का प्रस्ताव करने वाला कारण बताओ नोटिस जारी किया।- प्राधिकरण धारा 11 ए(1) को लागू करता है जबकि ट्रिब्यूनल नियम 196 अपील के संदर्भ में समय के भीतर नोटिस रखता है, अपील में माना कि: ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती को अवसर दिए बिना नियम 196 पेश किया- यह मानते हुए कि निर्धारिती छूट का हकदार है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अध्याय X के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं करने और उचित परिप्रेक्ष्य में लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कंसाइनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं-इसलिए, मामले को स्वतंत्र निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया।

शब्दों और वाक्यांशों:

'इंस्टॉल' या स्थापित- का अर्थ

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने अपने कारखाने में लोको वैगन और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों का निर्माण किया और उन्हें कारखाने के भीतर सामग्री और उत्पादों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए दूसरे कारखाने में लाया। उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 केंद्रीय अनुसूची के अध्याय 86 के अंतर्गत अपीलकर्ता ने आने वाले लोको-वैगन और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों के संबंध में मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों को छूट देने वाली अधिसूचना संख्या 281/86 दिनांक 24.4.1986 का लाभ मांगा। अपने कारखाने में निर्मित और कारखाने के भीतर सामग्री और उत्पादों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अन्य कारखाने में लाया जाता है। विभाग ने अधिसूचना के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपीलकर्ता की फैक्ट्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकरण ने माना कि लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक वैगन या बोगियां चलती हुई वस्तुएं हैं और उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं रखा गया या रखा या तय नहीं किया गया कि अधिसूचना का लाभ उपलब्ध होता क्योंकि यह फैक्ट्री में प्रयुक्त मशीनरी पर लागू होता है।

अतः प्रथम और दूसरी अपील।

अपीलकर्ता ने अधिसूचना के लाभ का दावा करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 192 के तहत अपने कारखाने से लोको इंजन और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों को शुल्क के भुगतान के बिना दूसरे कारखाने में लाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था। विभाग ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11(ए)(1) के सपठित परंतुक जिसमें नियम 9 (2) तथा 196(1) के तहत फैक्ट्री-कंसाइनर से प्राप्त माल के वास्तविक उपयोग को सूचित करने में विफल होने पर फैक्ट्री-कंसाइनी द्वारा अध्याय X में निहित प्रक्रियाओं के उल्लंघन के लिए शुल्क और जुर्माना लगाने का कारण बताओ नोटिस दिया गया । कारण बताओ नोटिस को सीमा अवधि के भीतर होने के संबंध में, निर्णायक प्राधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने माना कि धारा 11ए(1) लागू होता है, जबकि CEGAT ने माना कि नियम 196 के तहत मांग बढ़ाने के लिए, धारा 11ए(1) के तहत सीमा प्रासंगिक नहीं है और चूंकि नियम 196 के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, इसलिए समय के भीतर नोटिस जारी किए गए थे। अतः तीसरी अपील.

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने कहा दिया कि 'इंस्टॉलेशन' शब्द का मतलब यह नहीं है कि इसे केवल धरती से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि इसका

मतलब उपयोग या सेवा के लिए स्थापित करना है; कि वैगन और ट्रक जो काफी भारी थे उनका उपयोग फैक्ट्री परिसर में निश्चित पटरियों पर और तब किया जाता है जब उन्हें रेलों पर रखा जाता है, उन्हें स्थिति में रखा हुआ कहा जा सकता है; और यह कि CEGAT ने अपीलकर्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने से वंचित करते हुए नियम 196 की प्रयोज्यता से संबंधित एक नया मामला बनाया।

प्रतिवादी-राजस्व ने तर्क दिया कि राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ CEGAT ने स्पष्ट रूप से माना कि भागों का उपयोग वास्तव में स्थापित मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के लिए नहीं किया गया था; आम बोलचाल की भाषा में "INSTALL" शब्द का अर्थ है धरती से जुड़ा हुआ, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कोई संभावना नहीं है; और यह कि नियम 196 और धारा 11ए(1) दोनों अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं।

कोर्ट ने मामले को अधिकरण को भेजते हुए ।

अभिनिर्धारित:

1. अभिव्यक्ति 'INSTALL' या 'INSTALLED' को तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि वैगन और ट्रक जो काफी भारी

थे, कारखाने के परिसर में स्थित पटरियों पर उपयोग किए जाते हैं और उन्हें कारखाने के परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता है। इस अर्थ में जब उन्हें पटरियों पर रखा गया तो उन्हें स्थिति में रखा हुआ कहा जा सकता है। केवल इसलिए कि कुछ हलचल होती है, उन्हें स्थापित किये जाने के तथ्यों को कमजोर नहीं करता है। मशीनरी स्थापित की गई थी या नहीं, इस बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ और तथ्यात्मक विवरण दर्ज किए जाने आवश्यक हैं। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 281/86-सीई दिनांक 24.4.1986 में एक हेड नोट है जो कारखाने में उत्पादित या उपयोग के लिये जाने वाले या उसी निर्माणकर्ता की अन्य फैक्ट्री में मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव के लिए शुल्क योग्य सामानों पर छूट का संकेत करता है व "कारखाने में स्थापित मशीनरी" अभिव्यक्ति नहीं लिखता है जबकि अधिसूचना का मुख्य भाग ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। CEGAT ने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। इसलिए, CEGAT को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और तथ्यात्मक पहलुओं पर सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और अधिसूचना के मुख्य नोट में "कारखाने में स्थापित" शब्दों की अनुपस्थिति के प्रभाव पर भी विचार किया गया है। [467-D; 468-A-D]

आयकर आयुक्त बनाम श्री राम विलास सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड, (1960) 38 आईटीआर 25; आयकर आयुक्त (केंद्रीय) बॉम्बे बनाम सरसपुर मिल्स लिमिटेड, (1959) 36 आईटीआर 580; आयकर आयुक्त बनाम मीर

मोहम्मद अली, एआईआर (1964) एससी 1693 और सुंदरम मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम सी.आई.टी.. (1969) 71 आईटीआर 587 (मैड), संदर्भित। इंजीनियरिंग उद्योग प्रशिक्षण बोर्ड बनाम फोस्टर व्हीलर जॉन ब्रो बोल्ड लिमिटेड, (1970) 2 सभी ईआर 616; राज्य बनाम जोन्स, 89 एस.ई. 2 डी 129, 131, 242 एन.सी. 568; स्मिथ बनाम कप्पा, 12 एस.ई. 2 डी 693, 697, 218 एन.सी. 758; किंग बनाम इलियट 147 एस.ई. 701, 704, 197 एन.सी. 93; डी मेरिट बनाम फोर्ब्स मिलिंग कंपनी, 216 पी.1086, 114 कान. 62 और मेट्रोल बनाम थे, 124 पी.721, 722, 163 कैल.95, संदर्भित।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पांचवां संस्करण; लॉ लेक्सिकन टी.पी. द्वारा मुखर्जी पाँचवाँ संस्करण; वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल इंग्लिश डिक्शनरी; अंग्रेजी में लघु ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी; फ्रंड और वैगनॉल का नया मानक शब्दकोश। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लॉ लेक्सिकन दूसरा संस्करण 1997; कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम वॉल्यूम XLIV, संदर्भित।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 196 रियायत के लिए वापसी की स्थिति से संबंधित है। यदि कोई रियायत गलत तरीके से या अवैध रूप से प्राप्त की गई है तो नियम 196 उचित अधिकारी को संबंधित सामान पर लगाए गए शुल्क के भुगतान की मांग करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की

धारा 11(ए) उन बकाया राशि की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाया गया या भुगतान नहीं किया गया या कम लगाया गया या कम भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया। हस्तगत मामले में, अधिकारियों ने स्वयं इस आधार पर कार्रवाई की कि मामला धारा 11 ए के अंतर्गत आता है। CEGAT ने इस संबंध में निर्धारिती को अपनी बात रखने का कोई अवसर दिए बिना नियम 196 का एक नया मामला पेश किया। असल मुद्दे को दरकिनार करते हुए पुरे मामले पर विचार किया गया । '

[471-D-F]

3. भले ही तर्कों के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि अपीलकर्ता का कारखाना अधिसूचना के तहत छूट का हकदार था, अधिकरण ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या विभाग उक्त कंसाइनी द्वारा अध्याय 10 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं पर कंसाइनर से प्राप्त माल का हिसाब देने में विफल रहने पर उक्त कंसाइनी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है और यदि कंसाइनर के पक्ष में जारी किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एफ लाइसेंस नंबर 6 के नियमों और शर्तों का उचित परिप्रेक्ष्य में कोई उल्लंघन हुआ हो। [471-H; 472-A-B]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5421/1999



केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली F.O. No.120/99-B2 in A. No. E/3082 of 1990-B2 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 8.6.99 से ।

with CA Nos 5836/99 and 5209 of 2001.

ए.के. गांगुली, रविंदर नारायण, सुश्री. सोनू भटनागर, अजय अग्रवाल एवं राजन नारायण याचिकाकर्ता की ओर से ।

सुश्री बिनु तमता, ए. सुब्बा राव, पी. परमेश्वरन एवं बी. कृष्णा प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया ।

अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35 एल के तहत ये तीन अपीलें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित तीन अलग-अलग आदेशों के खिलाफ पेश की गयी हैं। (संक्षिप्त में "CEGAT")

सिविल अपील संख्या 5421/1999 इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या अधिसूचना संख्या 281/86 दिनांक 24.4.1986 का लाभ निर्धारिती-अपीलकर्ता द्वारा निर्मित लोको वैगन और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों के लिए उपलब्ध है। यह 1987 में आदित्यपुर स्थित ग्रोथ शॉप को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित है, जिसमें उपरोक्त अधिसूचना में

उल्लिखित नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। नोटिस कंसाइनर यानि ग्रोथ शॉप से संबंधित है। CEGAT का निर्णय जो उक्त अपील में लगाया गया है, CEGAT के आदेश में दर्ज कुछ निष्कर्षों पर भी आधारित है जो 1999 के सी.ए. संख्या 5836 में चुनौती का विषयवस्तु है। इसमें लाभ के लिए पात्रता के प्रश्न से संबंधित मुद्दा भी है। अपीलकर्ता के कारखाने (ग्रोथ शॉप) में निर्मित रोलिंग स्टॉक के कुछ हिस्सों के संबंध में अधिसूचना संख्या 281/86 दिनांक 24.4.1986 की छूट और जमशेदपुर में मुख्य इस्पात कार्यों में उपयोग किए जाने वाले परिवहन उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में उपयोग के लिए छूट कारखाने के भीतर सामग्री और उत्पादों को ले जाना। तीसरी अपील यानी सी.ए. 2001 का 52 मामला 44,78,167.02 रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने से संबंधित है। यहां फिर से, शुल्क और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करने वाले कारण बताओ नोटिस इस आधार पर थे कि उपरोक्त वर्णित अधिसूचना निर्धारित-अपीलकर्ता के लाभ के लिये उपलब्ध नहीं थी। यह विवाद कंसाइनी द्वारा अध्याय-X में निहित प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन के विनिश्चय से संबंधित है, जिसका नाम मुख्य संयंत्र जमशेदपुर है। आरोप यह था कि कंसाइनर ने आदित्यपुर में स्थित ग्रोथ शॉप से प्राप्त माल का वास्तविक उपयोग बताने में विफल रहा था, कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.5.1991 का है।

निर्धारिती-अपीलकर्ता ने नियम 197 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में 'नियम') के तहत ग्रोथ शॉप से अनुसूची के अध्याय 86 में आने वाले लोको इंजन और रोलिंग स्टॉक के हिस्सों को बिना शुल्क के भुगतान के लाभ का दावा करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया था। उपरोक्त अधिसूचना. अनुमति नहीं दी गयी, क्योंकि राजस्व के अनुसार उत्पाद, उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं थे । अधिनियम की धारा 11(ए)(1) के प्रावधान के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 9(2) और 196(1) के तहत अपीलकर्ता को यह कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि शुल्क की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए।

निर्धारिती का रुख यह था कि यह पूरी तरह से छूट संबंधी अधिसूचना में शामिल था। दूसरी ओर राजस्व का मानना था कि अधिसूचना में इस्तेमाल किया गया महत्वपूर्ण शब्द 'स्थापित' था। चूँकि इसमें शामिल माल कारखाने में स्थापित मशीनरी से संबंधित नहीं था, इसलिए इसका लाभ नहीं मिल सकता ।

सहायक कलेक्टर (इसके बाद 'न्यायनिर्णयन प्राधिकारी' के रूप में संदर्भित), कलेक्टर (अपील) (इसके बाद 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' के रूप में संदर्भित) और साथ ही CEGAT ने माना कि अधिसूचना का यहां कोई उपयोग नहीं है क्योंकि मशीनरी जिसके लिए वह हिस्से थे वे कारखाने में

स्थापित नहीं थी । तीसरी अपील में, मूल मुद्दा यह था कि क्या कारण बताओ नोटिस सीमा की निर्धारित अवधि से परे जारी किए गए थे। हालांकि कारण बताओ नोटिस ने संकेत दिया कि वह अधिनियम के 11(ए)(1) (परंतुक) के संदर्भ में जारी किया गया था , CEGAT ने माना कि अधिनियम का 11(ए)(1) नहीं बल्कि नियम 196 जो वास्तव में प्रासंगिक है चूंकि उसमें कोई निर्धारित अवधि नहीं बतायी गयी है तो कारण बताओ नोटिस समय सीमा में ही जारी किए गए थे ।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ए. के. गांगुली ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना संख्या 281/86 मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों को छूट देती है। यह लोकोमोटिव और किसी भी अन्य मशीनरी के बीच अंतर नहीं करता है और ट्रक और अन्य परिवहन उपकरण जो निर्विवाद रूप से "मशीनरी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, विशेष रूप से कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल आदि ले जाने के उद्देश्य से कारखाने के भीतर उपयोग किए जाते थे। ऐसे ट्रक और लोकोमोटिव के रखरखाव के लिए बनाये गये हिस्से निश्चित रूप से छूट के पात्र होंगे। यह स्वीकार किया गया कि राजस्व द्वारा कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया है कि ट्रक और अन्य परिवहन उपकरण मशीनरी थे। राजस्व ने जो दिखाने की कोशिश की है वह यह है कि वे उस मशीनरी के लिए नहीं थे जो स्थापित की गई थी। 'इंस्टॉलेशन' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि इसे केवल

धरती से जुड़ा होना चाहिए बल्कि इस का प्रयोग परिचय या उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। इसका साररूपेण यह अर्थ है कि उपयोग या सेवा के लिए स्थिति स्थापित करना या ठीक करना है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि CEGAT ने इस तथ्य को अनदेखी दिया की परिसीमन के उद्देश्य से नियम 196 की प्रयोज्यता से संबंधित एक नया मामला बनाया जिसमें इसे कारण बताओ नोटिस और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश इस आधार पर दिये गये कि कार्यवाही धारा 11ए(1) (परंतुक) के संदर्भ में की जा रही है इसलिए, निर्धारिती-अपीलकर्ता अपना मामला प्रस्तुत करने से वंचित रह रहा है। इसके साथ, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने के लिए उल्लंघन का आरोप लगाने से अधिक कुछ आवश्यक है। इसमें आपराधिक मनःस्थिति या जानबूझकर की गई उपेक्षा का तत्व अवश्य होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, नियम 196 और धारा 11(ए)(1) विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि नियम 196 में किसी सीमा अवधि का संकेत नहीं दिया गया है, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि विधानमंडल ने असामान्य रूप से लंबी अवधि के बाद कार्यवाही की अनुमति दी, जिससे तय स्थिति अस्थिर हो गई। कोई जानबूझकर गलत बयान नहीं दिया गया था और वास्तव में निर्धारिती-अपीलकर्ता ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, आवेदनों और सूचियों में तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा किया था।

जवाब में, राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ CEGAT ने स्पष्ट रूप से माना है कि भागों का उपयोग वास्तव में स्थापित मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के लिए नहीं किया गया था। आम बोलचाल की भाषा में भी "इंस्टॉल्ड" शब्द का अर्थ है धरती से जुड़ा हुआ, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कोई संभावना न हो। इसलिए, निष्कर्षों को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता।

जहां तक सीमा के सवाल का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 196 और धारा 11 ए(1) दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं। तथ्य यह है कि नियम 196 में कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, यह दर्शाता है कि विधायिका का कभी भी उस अवधि को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं था जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। गुप्त तरीके से निष्कासन किया गया था और चूंकि निर्धारिती ने रियायत का लाभ उठाया था, इसका मतलब है कि शुल्क का कम भुगतान या गैर-उगाही हुई है। आदित्यपुर में फैक्ट्री जो ग्रोथ शॉप वो जमशेदपुर स्थित मुख्य इस्पात कारखानों से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा होने पर, किसी भी स्थापना का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए, CEGAT ने लाभ से इंकार कर दिया और शुल्क और जुर्माना लगाया।

छूट अधिसूचना जो पहली दो अपीलों के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार है:

"मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के लिए एक ही कारखाने या एक ही निर्माता के अन्य कारखाने में उत्पादित और उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर छूट।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एक कारखाने के भीतर एक कार्यशाला में निर्मित और उक्त कारखाने में या निर्माता की किसी अन्य फैक्ट्री में स्थापित मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के लिये उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (5) की अनुसूची में निर्दिष्ट है 1986 का)।

बशर्ते कि जहां ऐसा उपयोग किसी निर्माता के कारखाने में होता है, जो उसके कारखाने से भिन्न होता है, जहां माल का निर्माण किया गया है, इस अधिसूचना में निहित छूट

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के पालन के अधीन स्वीकार्य होगी। नियम, 1944"।

उक्त अधिसूचना नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। अधिसूचना में दो भाग हैं। पहला भाग कारखाने के भीतर एक कार्यशाला में निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं से संबंधित है और उक्त कारखाने में उपयोग के लिए है। दूसरा भाग उसी निर्माता की किसी अन्य फैक्ट्री में स्थापित मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के लिए उपयोग से संबंधित है। 'उसमें' अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से निर्माता के अन्य कारखाने से संबंधित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिसूचना का शीर्षक स्थापना पहलू को संदर्भित नहीं करता है जबकि अधिसूचना का मुख्य भाग ऐसा करता है। इस मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि माल का उपयोग निर्धारिती-अपीलकर्ता के अन्य कारखाने में मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के उद्देश्य से किया जाना था। मूल मुद्दा, इसलिए, क्या ये मशीनरी कारखाने में स्थापित की गई थीं।

ई ब्लैक लॉ डिक्शनरी (पांचवें संस्करण) के अनुसार, 'इंस्टॉल' शब्द का अर्थ है "सीट पर बैठाना, जगह देना; किसी कार्यालय में स्थापित करना, स्थान देना या स्थापित करना, पद या व्यवस्था करना आदि। स्थापित करना" या उपयोग या सेवा के लिए स्थिति में ठीक करें।



टी.पी. के अनुसार मुखर्जीज लॉ लेक्सिकन, पांचवें संस्करण में, "स्थापित" शब्द को वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(5) में 'प्लांट' शब्द की विस्तारित वैधानिक एफ परिभाषा के मद्देनजर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मशीनरी या प्लांट के संबंध में 'स्थापित' शब्द का अर्थ ऐसा माना जाना चाहिए वह संयंत्र जिस प्रकार स्थापित करने में सक्षम है।

वेबस्टर के न्यू इंटरनेशनल इंग्लिश डिक्शनरी में दिए गए "इंस्टॉल्ड" शब्द का अर्थ "हीटिंग या लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए उपयोग या सेवा के लिए स्थापित करना या ठीक करना है।" अंग्रेजी में शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग, या सेवा या उपयोग के लिए स्थिति में रखने के अर्थों में से एक के रूप में दिया गया है। बहुत ही वही अर्थ फंड और वैगनॉल के न्यू स्टैंडर्ड डिक्शनरी में दिया गया है " गर्म पानी की व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेवा या उपयोग के लिए स्थान पर रखना"।

आयकर आयुक्त बनाम श्री राम विलास सर्विस (प्राइवेट) लिमिटेड में, (1960) 38 आईटीआर 25 27 में यह आयोजित किया गया था, शब्द "इंस्टॉल" के दायरे को समझाने के लिए शब्दकोश में दिए गए उदाहरणों को अलग रखते हुए, कि "इंस्टॉल" का अर्थ निश्चित रूप से "सेवा या उपयोग के लिए एक उपकरण को रखना" होगा ". आयकर अधिनियम,

1922 की धारा 10(2) (vi-बी) के अंतर्गत एक बस या लॉरी एक संयंत्र है। चाहे, जब एक बस या लॉरी खरीदी जाती है और उसे सड़क पर निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय करने के लिये रखा जाता है तो क्या यह कहा जा सकता है कि स्थापना की आवश्यकता पूरी हो गई है? जब बस या लॉरी को सड़क पर खड़ा किया जाता है तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बस या लॉरी को उपयोग या सेवा के लिए खड़ा किया गया है और उस अर्थ में बसें या लॉरी स्थापित की गई थीं। निर्धारिति द्वारा स्थापना के वैधानिक परीक्षण की जरूरत पूरी की गयी थी क्योंकि बसें और लॉरी जैसी स्थापना सक्षम थी या पूरी हो चुकी थी।

यह धारणा कि "स्थापित" अभिव्यक्ति का अर्थ आवश्यक रूप से उस समय "स्थिति में स्थिर" होना चाहिए जब संयंत्र काम कर रहा हो या उपयोग किया जा रहा हो, उचित प्रतीत नहीं होती है। "स्थापित" अभिव्यक्ति का उपयोग "प्रवेशित या प्रस्तुत" के अर्थ में भी किया जाता है, और यदि वह अर्थ है जिसमें उस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो उस संदर्भ में कुछ भी असंगत नहीं है जिसमें उस शब्द का उपयोग किया जाता है जो इसे धारण करने का औचित्य साबित करेगा। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10, उप-धारा (2), खंड (vi-बी) में "संयंत्र" शब्द का उद्देश्य वाहनों को शामिल करना नहीं था। [(देखें आयकर आयुक्त (केंद्रीय) बॉम्बे बनाम सरसपुर मिल्स लिमिटेड, (1959) 36 आईटीआर 580 581 पर)]।

पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकॉन, द्वितीय संस्करण 1997 के अनुसार, 'स्थापित' अभिव्यक्ति का मतलब जरूरी नहीं कि 'स्थिति में निश्चित' हो, बल्कि इसका इस्तेमाल 'इरादा या पेश किया गया' के अर्थ में भी किया गया था। जैसा कि आयकर आयुक्त बनाम मीर मोहम्मद अली, एआईआर (1964) एससी (1693) में (1697) = (1964) 53 आईटीआर 165 में कहा गया है, स्थापित करने का अर्थ निश्चित रूप से 'किसी उपकरण को सेवा या उपयोग के लिए स्थिति में रखना' होगा। जब किसी वाहन में इंजन लगाया जाता है तो उसे अभिव्यक्ति के अर्थ के अंतर्गत स्थापित किया जाता है।

उक्त निर्णय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) की व्याख्या करते समय दिया गया था। इसमें शामिल प्रावधान धारा 10(2)(vi) और (vi ए) शामिल थे। उक्त मामले में शामिल मुद्दा यह था कि क्या मौजूदा इंजनों के प्रतिस्थापन में मोटर वाहनों में लगाए गए डीजल तेल इंजनों के संबंध में अधिनियम की धारा 10 (2) (vi) (vi ए) और धारा 10 (2) के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास स्वीकार्य है। मौजूदा इंजनों की. यह माना गया कि अभिव्यक्ति 'इंस्टॉल' का मतलब आवश्यक रूप से स्थिति में ठीक करना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग शामिल या पेश किए जाने के अर्थ में भी किया जाता है। यह भी माना गया कि 'इंस्टॉल' का मतलब आवश्यक रूप से सेवा या उपयोग के लिए किसी उपकरण को स्थिति में

रखना होगा। इसलिए यह माना गया कि जब किसी वाहन में कोई इंजन लगाया जाता है तो उसे अर्थ के साथ स्थापित किया जाता है

आईटी अधिनियम 1922 की धारा 10(2) के खंड (vi) और (vi ए) में अभिव्यक्ति के अर्थ के अनुसार स्थापित किया जाता है । [2005] 2 एस.सी.आर.

यदि व्यवसाय में अन्य उपकरणों के साथ संयोजन में संयंत्र वाणिज्य के व्यापार को प्रभावित करता है और कायम रखता है, तो, ऐसे संयंत्र के संबंध में, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित किया गया है, "स्थापित" का अर्थ है ऐसा प्रेरण या परिचय जिसके तहत व्यवसाय में सेवा या उपयोग की स्थिति में संयंत्र लगाया जा सकता है। (देखें सुंदरम मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम सी.आई.टी., (1969) 71 आईटीआर बी 587, 593 (मैड.).)

'इंस्टॉलेशन' शब्द का अर्थ है संयंत्र के पूरे टुकड़े को एक साइट पर लाना और साइट पर स्थापित करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हिस्सों को एक साथ रखना, टुकड़े-टुकड़े करना, पाइप दर पाइप, बोल्ट दर बोल्ट, वेल्ड दर वेल्ड करना, जब तक कि यह धीरे-धीरे एक पूरा न हो जाए। (इंजीनियरिंग उद्योग प्रशिक्षण बोर्ड बनाम फोस्टर व्हीलर जॉन ब्राउन बोइल्ड लिमिटेड देखें, [1970] 2 सभी ईआर 616, 619 (सीए)।)

कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम के अनुसार। XLIV, शब्द 'इंस्टॉल' का अर्थ आम तौर पर डी है, किसी सीट पर रखना या सेट करना या जगह देना; किसी कार्यालय, पद या व्यवस्था को स्थापित करना, स्थापित करना या स्थापित करना ।

बिल्डर्स की शब्दावली में, किसी जगह पर स्थापित करना, कनेक्ट करना और उपयोग के लिए तैयार करना; और, विशेष रूप से मशीनरी पर लागू होने पर, इस शब्द का एक तकनीकी अर्थ है, जिसका अर्थ है उपयोग या सेवा के लिए स्थिति स्थापित करना या ठीक करना; ई मशीनरी को उस स्थिति में रखना जहां यह उन उद्देश्यों को यथोचित रूप से पूरा कर सके जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है; उपयोग या सेवा के लिए सेट या ठीक करना, जैसे प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना।

जैसा कि मशीनरी पर लागू होता है, इस शब्द का एक तकनीकी अर्थ है, और मशीनों, उपकरणों और सहायक उपकरण की पूरी प्रणाली को संदर्भित करता है और काम करने की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि विद्युत प्रकाश व्यवस्था, बिजली का संचरण, आदि। इस अर्थ में "इंस्टालेशन" "उपकरण" का पर्याय हो सकता है।

शब्दों और वाक्यांशों के अनुसार, स्थायी संस्करण, खंड। 21-ए 'इंस्टॉल' शब्द का अर्थ है सेट अप करना या ठीक करना। (देखें राज्य बनाम जोन्स, 89 एस.ई.2 डी 129, 131, 242 एन.सी. 63)। जी

"स्थापित" का अर्थ है उपयोग या सेवा के लिए प्रकाश व्यवस्था के रूप में स्थापित करना या ठीक करना। (देखें स्मिथ बनाम कप्पा, 12 एस.ई.2 डी 693, 697, 218 एन.सी. 758)।

"इंस्टॉल" शब्द का अर्थ उपयोग या सेवा के लिए स्थापित करना या ठीक करना है। (देखें किंग बनाम इलियट, 147 एस.ई. 701, 704, 197 एन.सी. 93)।

जहां स्टीम बॉयलर के लिए सफाई अनुलग्नक की बिक्री के लिए एक अनुबंध में खरीदार को इसे स्थापित करने के 60 दिन बाद इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने की अनुमति दी गई है, तो स्थापना को तब पूरा माना जाता है जब क्लीनर को बॉयलर से चिपका दिया गया था, हालांकि संयंत्र के संचालित न होने के कारण बाद तक इसका कोई परीक्षण नहीं किया गया। (देखें डी मेरिट बनाम फोर्ब्स मिलिंग कंपनी, 216 पी.1086, 114 कान. 62)।

सिविल कोड, पीपी.1645, 1654, 1656, के बावजूद यह प्रावधान है कि अनुबंधों में तकनीकी शब्दों की व्याख्या उस व्यवसाय के व्यक्तियों द्वारा समझी जानी चाहिए, जिससे वे संबंधित हैं, और अनिश्चितता के मामलों में अनुबंध की व्याख्या अनिश्चितता पैदा करने वाले पक्ष के खिलाफ सबसे दृढ़ता से की जानी चाहिए। अस्तित्व में होने के लिए, और एक अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें इसमें निहित हैं, एक पट्टा,

जिसके लिए पट्टेदार को परिसर के सामने "तहखाने से फुटपाथ तक एक फुटपाथ लिफ्ट स्थापित करने" की आवश्यकता होती है, पट्टेदार को इसकी आवश्यकता नहीं होती है लिफ्ट की स्थापना के लिए परिसर तैयार करें; लेकिन पट्टेदार को बेसमेंट को फुटपाथ से जोड़ने वाले सामान्य सामान के साथ एक उपयुक्त लिफ्ट प्रदान करनी होगी; "इंस्टॉल" शब्द का अर्थ उपयोग या सेवा के लिए स्थापित करना या ठीक करना है। (मेट्रोलर बनाम थाये, 124 पी.721, 722, 163 कैल.95 देखें)।

जैसा कि 'इंस्टॉल' या 'इंस्टॉल्ड' शब्द दिखाते हैं, बहुत कुछ उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिसमें अभिव्यक्ति का उपयोग किसी विशेष कानून में किया जाता है और कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है।

छूट का लाभ छूट अधिसूचना के तहत उपलब्ध है यदि (1) उत्पाद शुल्क योग्य सामान कारखाने के भीतर एक कार्यशाला में निर्मित किया जाता है; (2) माल उक्त कारखाने में या उसी निर्माता के किसी अन्य कारखाने में उपयोग किया जाना है; (3) माल अन्य कारखाने में स्थापित मशीनरी की मरम्मत या रखरखाव के लिए उपयोग के लिए है; और (4) यदि कारखाने में उत्पादन के कारखाने से भिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो अध्याय X प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

पहली दो अपीलों में CEGAT का विचार था कि जो मशीनरी स्थापित की गई है उसे एक स्थिति में रखना या स्थापित करी जानी चाहिए। एक लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक वैगन या बोगियों को इस तरह से स्थिति में नहीं रखा जाता है। CEGAT के अनुसार मशीनों के पुर्जे को हिला सकती है और वे मशीन को कार्यशील बनाने के लिए हिल ही सकते हैं, लेकिन ऐसी मशीनों को स्वयं हिलने की आवश्यकता नहीं होती है। लोकोमोटिव और इसमें शामिल अन्य वस्तुएँ चलती-फिरती वस्तुएँ हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हें कारखाने में स्थापित किया गया है। इनका उपयोग कारखाने में सामग्री ले जाने या ले जाने के लिए किया जाना चाहिए। यह माना गया कि अधिसूचना कारखाने में स्थापित मशीनरी पर लागू होती है, न कि कारखाने में प्रयुक्त मशीनरी पर।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति को तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। निर्धारित-अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वैगन और ट्रक जो काफी भारी थे, कारखाने के परिसर में निश्चित पटरियों पर उपयोग किए जाते हैं और उन्हें कारखाने के परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता है। इस अर्थ में जब उन्हें पटरियों पर रखा गया तो उन्हें अपनी स्थिति में रखा हुआ कहा जा सकता है। केवल इसलिए कि कुछ हलचल है, यह इसको कमजोर नहीं करता है कि जिस पर उन्हें स्थापित किया गया है। हमारा मानना है कि इस संबंध में कुछ और तथ्यात्मक



विवरण दर्ज किए जाने आवश्यक हैं ताकि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि मशीनें स्थापित की गई थीं या नहीं। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 281/86-सीई दिनांक 24.4.1986 में एक हेड नोट है जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है। यह मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव के लिए कारखाने के भीतर उत्पादित और उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामान पर छूट का संकेत देता है। यह "कारखाने में स्थापित मशीनरी" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है। CEGAT द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, CEGAT के लिए यह उचित होगा कि वह मामले को नए सिरे से सुने और मीर मोहम्मद के मामले (सुप्रा) में फैसले और ऊपर उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक पहलुओं पर सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करे। यह अधिसूचना के हेड नोट में "कारखाने में स्थापित" शब्दों की अभाव के प्रभाव पर भी विचार करेगा। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

शेष प्रश्न यह है कि, भले ही यह माना जाए कि छूट अधिसूचना के तहत लाभ उपलब्ध नहीं है, क्या जारी किए गए नोटिस को सीमा की अवधि के भीतर माना जा सकता है। निर्विवाद रूप से, निर्णायक प्राधिकारी और प्रथम अपीलिय प्राधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े जैसे कि धारा 11 ए(1) मामले के तथ्यों पर लागू हो। दूसरी ओर CEGAT का विचार था कि नियम 196 के तहत मांग उठाने के लिए अधिनियम की धारा 11 ए(1)

के तहत सीमा लगाने का कोई वारंट नहीं था। यह सिविल अपील संख्या 5209/2001 में विवाद का विषय है।

इस मुद्दे पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। नियम 192, 196 और धारा 11 ए(1) प्रासंगिक समय पर इस प्रकार पढ़े जाते हैं:

"नियम 192-रियायत के लिए आवेदन- जहां केंद्र सरकार ने, जैसा भी मामला हो, नियम 8, या अधिनियम की धारा 5 ए के तहत अधिसूचना द्वारा, एक निर्दिष्ट औद्योगिक में उपयोग किए जाने वाले नमक के अलावा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क की छूट को मंजूरी दे दी है। तब ऐसा व्यक्ति जो ऐसे माल पर शुल्क से छूट प्राप्त करना चाहता है, आयुक्त को उचित प्रपत्र में आवश्यक उत्पाद शुल्क योग्य माल की अनुमानित वार्षिक मात्रा और उसके उद्देश्य का ओर उपयोग किये जाने के तरीके का और घोषणा करते हुए की सामान का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिये और ऐसे तरीके में किया जायेगा यदि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे राजस्व को खतरे के बिना रियायत दी जा सकती है, और यदि वह व्यक्तिगत निरीक्षण या अपने अधीनस्थ अधिकारी के निरीक्षण से संतुष्ट है कि परिसर उपयुक्त है और इसमें माल के भंडारण के लिए उपयुक्त एक

सुरक्षित स्टोर रूम शामिल है, और यदि आवेदक ऐसे प्रतिष्ठान की लागत वहन करने के लिए सहमत है जिसे आयुक्त इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपने परिसर में संचालन की निगरानी के लिए आवश्यक समझ सकता है, तो आयुक्त आवेदन स्वीकार कर सकता है, और फिर आवेदक ऐसी ज़मानत या पर्याप्त सुरक्षा के साथ इतनी राशि में और ऐसी शर्तों के तहत उचित रूप में एक बांड में प्रवेश करेगा जैसा कि आयुक्त अनुमोदित करता है। जहां इस प्रयोजन के लिए, आवेदक के लिए उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है, उसे पंजीकरण शुल्क के भुगतान के लिए सबूत के साथ अपेक्षित आवेदन जमा करना होगा और फिर उसे उचित रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। जब तक आयुक्त द्वारा नवीनीकरण नहीं किया जाता तब तक रियायत पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

बशर्ते कि, मृत्यु, दिवालियापन या ज़मानती की अपर्याप्तता की स्थिति में, या जहां बांड की राशि अपर्याप्त है, आयुक्त अपने विवेक से, नए बांड की मांग कर सकता है; और, यदि किसी बांड के लिए दी गई सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त सुरक्षा राशि की मांग कर सकता है।

नियम 196- उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क का उचित रूप से हिसाब नहीं किया जाना- (1) यदि नियम 192 के तहत प्राप्त किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान का उचित रूप से हिसाब नहीं दिया जाता है कि उसका उपयोग प्रयोजन के लिए और आवेदन के तरीके से किया गया है या खरीद के स्थान से आवेदक के परिसर तक परिवहन के दौरान संतुष्टि के लिए नहीं दिखाया गया है या नियम 192 के तहत अनुमोदित परिसर में हैंडलिंग या भंडारण के दौरान प्राकृतिक कारणों से या अपरिहार्य दुर्घटना से खो जाने या नष्ट हो जाने पर उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिये नहीं दिखाया गया है तो आवेदक उचित अधिकारी की मांग पर ऐसे माल पर लगने वाले शुल्क का तुरंत भुगतान करेगा । यदि आवेदक, उसके एजेंट या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आयुक्त द्वारा किसी भी समय रियायत वापस ली जा सकती है। इस तरह के उल्लंघन की स्थिति में, आयुक्त नियम 192 के तहत जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है और उत्पाद शुल्क योग्य सामान और सभी को व ऐसे सामानों से निर्मित सामान कारखाने में स्टोर में जब्त कर सकता है ।

(2) जहां किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान पर उप-नियम (1) के संदर्भ में शुल्क प्रभार्य हो जाता है, ऐसे सामान पर लागू शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन, यदि कोई हो, लागू दर और मूल्यांकन होगा-

(i) परिसर से माल के वास्तविक निष्कासन के मामले में, ऐसे निष्कासन की तारीख पर;

(ii) खरीद के स्थान से आवेदक के परिसर तक परिवहन के दौरान पारगमन में माल की हानि के मामले में, जिस तारीख को आवेदक के परिसर में माल प्राप्त होता है;

(iii) नियम 192 के तहत अनुमोदित परिसर में भंडारण के दौरान या हैंडलिंग के दौरान माल के मामले में, जिस तारीख को उचित अधिकारी द्वारा इस तरह के नुकसान का पता लगाया जाता है या उसे सूचित किया जाता है;

(iv) अन्य सभी मामलों में, जिस तारीख को शुल्क की मांग के लिए नोटिस जारी किया जाता है या जिस तारीख को शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो भी पहले हो।

11A(1): न लगाए गए या भुगतान न किए गए या कम लगाए गए या कम भुगतान किए गए या गलती से वापस किए गए शुल्क की वसूली (1) जब उत्पाद शुल्क का कोई

शुल्क नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है रिफंड के मामले में, एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से छह महीने के भीतर शुल्क प्रभारी व्यक्ति कारण बताओ नोटिस दे सकता है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए । जो लगाया या भुगतान नहीं किया गया है या जिसे कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या जिसे रिफंड गलती से कर दिया गया है।

बशर्ते कि जहां उत्पाद शुल्क का कोई शुल्क लगाया या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाने, या किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण गलती से वापस कर दिया गया है। इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ऐसे व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से भूगतान नहीं किया गया हो तो इस तरह प्रभावी होंगे, "छह महीने" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे .

स्पष्टीकरण जहां नोटिस की तामील एक अदालत के एक आदेश द्वारा रोक दी गई है, इस तरह की रोक की अवधि को छह महीने या पांच साल की उपरोक्त अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।"

जैसा कि नियम 196 के शीर्षक से ही पता चलता है कि यह उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाए जाने वाले शुल्क से संबंधित है जिसका विधिवत हिसाब नहीं हो गया हो । नियम 192 रियायत के लिए आवेदन के बारे में बताता है। नियम 196 में यह प्रावधान है कि यदि नियम 192 के तहत प्राप्त किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान को आवेदन में बताए गए उद्देश्य के लिए और तरीके से उपयोग किया गया है या उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिए खो जाने या प्राकृतिक कारणों से या खरीद के स्थान से आवेदक के परिसर तक परिवहन के दौरान या नियम 192 के तहत अनुमोदित परिसर में हैंडलिंग या भंडारण के दौरान अपरिहार्य दुर्घटना से नष्ट होने के लिए नहीं दिखाया गया है। आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसे सामान पर लगाए जाने वाले शुल्क का तुरंत भुगतान करना होगा। इसमें आगे प्रावधान है कि यदि आवेदक, उसके एजेंट या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो रियायत वापस ली जा सकती है। इस तरह के उल्लंघन की स्थिति में, नियम 192 के तहत जमा की गई प्रतिभूति को जब्त करने और कारखाने में स्टोर में उत्पाद शुल्क योग्य सामान और ऐसे सामान से

निर्मित सभी सामान को जब्त करने की शक्ति दी गई है। दूसरे शब्दों में, नियम 196 रियायत वापस लेने की स्थिति से संबंधित है। यदि कोई रियायत गलत तरीके से या अवैध रूप से प्राप्त की गई है तो नियम 196 उचित अधिकारी को संबंधित सामान पर लगाए गए शुल्क के भुगतान की मांग करने की अनुमति देता है।

दूसरी ओर धारा 11(ए) उन बकाया राशि की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है।

मौजूदा मामले में, प्राधिकारियों ने स्वयं इस आधार पर कार्रवाई की कि मामला धारा 11ए के अंतर्गत आता है। CEGAT ने इस संबंध में निर्धारिती को अपनी बात रखने का कोई अवसर दिए बिना नियम 196 का एक नया मामला पेश किया।

हमने पाया कि वास्तविक मुद्दे को दरकिनार कर पूरे मुद्दे पर विचार किया गया । कारण बताओ नोटिस में जमशेदपुर स्थित मुख्य संयंत्र (इसके बाद 'कंसाइनी' के रूप में संदर्भित) द्वारा अध्याय-X प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए निर्णय के संदर्भ है । कारण बताओ नोटिस के अनुसार, उक्त कंसाइनी ग्रोथ शॉप आदित्यपुर से प्राप्त माल के वास्तविक उपयोग की जानकारी देने में विफल रहा था।



यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1987 का कारण बताओ नोटिस कंसाइनर द्वारा छूट अधिसूचना के उल्लंघन से संबंधित था, जबकि 14.5.1991 का कारण बताओ नोटिस उक्त कंसाइनर के पक्ष में जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के उल्लंघन से संबंधित था, जो सूचित करने में विफल रहा था। प्रश्न में एक इनपुट. भले ही तर्कों के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि ग्रोथ शॉप उपरोक्त अधिसूचना के तहत छूट की हकदार थी। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विभाग अध्याय-10 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए उक्त कंसाइनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस संख्या 6 के मुख्य संयंत्र के पक्ष में जारी किये गये नियम और शर्तों का उल्लंघन हुआ हो। CEGAT द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है। मूल प्रश्न यह है कि क्या मुख्य संयंत्र, जमशेदपुर ग्रोथ शॉप, आदित्यपुर से प्राप्त माल का हिसाब देने में विफल रहा।

ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले को नए निर्णय के लिए CEGAT को भेजा जाता है।

खर्च के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीलों का निपटारा तदनुसार कर दिया गया।

एन.जे.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद औटिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीती व्यास (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।